UPRN010039462026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–15 (बलात्संग/पाक्सो एक्ट)

कानपुर देहात

उपस्थितः– सुरेन्द्र सिंह– III.....उच्चतर न्यायिक सेवा(H.JS.)

J. O. CODE NO.–UP 1610

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1527/2026

सुरेश कुमार पुत्र बाबूराम उम्र लगभग 54 वर्ष

निवासी ग्राम– मनेथू, थाना– गजनेर, कानपुर देहात।

वर्तमान निवासी ग्राम– लौवा सिंह की मड़ैया झींझक, थाना– मंगलपुर, कानपुर देहात।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्ष/अभियोजन पक्ष

अ०सं०– 254/2024

धारा–64(1),123,351(3) भा०न्या०सं०

व धारा– 67 आई०टी० एक्ट

थाना– मंगलपुर, कानपुर देहात।

सम्बन्धित सत्र केस संख्या– 54/2025

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

आवेदक/अभियुक्त सुरेश कुमार की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1527/2026, अ०सं०– 254/2024, धारा–64(1),123,351(3) भा०न्या०सं० व धारा– 67 आई०टी० एक्ट, थाना– मंगलपुर, कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त मुकदमा में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा किसी सुरेश गौतम की फेसबुक आईडी से वादिया का कथित वीडियो अपलोड होना पाया गया है, जबकि अभियुक्त का एक मात्र नाम सुरेश कुमार है न कि सुरेश गौतम, किन्तु विवेचक द्वारा अत्यंत लापरवाहीपूर्ण विवेचना करते हुए सुरेश गौतम के बारे में कोई विवेचना नहीं की गई है साथ ही उक्त वीडियों के फर्जी या सही होने के बाबत भी कोई जांच नहीं की गई है। साथ ही जैसा कि न्यायालय के समक्ष दिए वादिनी के बयान से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल फोन नही है, तो ऐसे में कथित वीडियो बनाने या उसे अपलोड करने का प्रश्न ही नही उठता है। वादिया द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से लिए गए रूपये वापस न करने के आशय से रंजीशन प्रार्थी के विरूद्ध झूठे, बनावटी, मनगढंत तथा निराधार तथ्यों के आधार पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मात्र प्रार्थी/अभियुक्त एवं उसके परिवार को समाज में बदनाम करने, परेशान करने एवं रूपये ऐंठने की नियत से प्रथम सूचना कर्ता द्वारा झूठे मनगढंत, बनावटी और आधारहीन तथ्यों के आधार वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमा मे वर्णित कथित

किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक शांति प्रिय भारतीय संविधान एवं न्याय व्यवस्था मे पूर्ण आस्था व निष्ठा रखने वाला सभ्रान्त नागरिक है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे मे अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा दौरान मुकदमा विचारण प्रत्येक नियत तारीख पर हाजिर अदालत रहेगा एवं विचारण में न्यायालय का पूर्ण सहयोग करेगा और याचना की गयी है कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्र०पत्र स्वीकृत कर जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अपराधी है, जिसके द्वारा कथित उपरोक्त अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। उक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रा० पत्र, केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सुरेश कुमार के विरुद्ध वादिनी मुकदमा/पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर, पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्संग करने व जान से मारने की धमकी देने तथा पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है।

पीड़िता ने धारा– 180 भा०ना०सु०सं० के बयानों में कथन किया है कि दिनाँक– 30.06.2024 को दोपहर लगभग 12.30 बजे मैं चारा लेने खेत पर जा रही थी। तब सुरेश ने मुझे अपने घर बुलाकर गेट बन्द कर दिया और मुझे कुछ सुंघा दिया और मैं बेहोश होकर गिर गयी, फिर उसने मेरे साथ गलत काम किया और उसकी वीडियो बना ली।

पीड़िता ने धारा– 183 भा०ना०सु०सं० के बयानों में कथन किया है कि 30.06.2024 को दोपहर लगभग 12 बजे चारा लेने घर से निकली। तभी रास्ते में सेुरश ने इशारा कर बुलाया। मैं गयी, तो बोला अन्दर आ जो। तुरन्त गेट बन्द कर मुझे कुछ सुंघा दिया। मैं बेहोश हो गयी। उसने मेरे साथ गलत काम किया। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि उसने मुझे बनाया हुआ वीडियो दिखाया और कहा कि अगर घर में किसी से कहा, तो जान से मार देंगे।

अभियुक्त द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रा० पत्र में यह आधार लिया गया है कि वादिया द्वारा कथित घटना से करीब 4 माह विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है, जबकि वादिया द्वारा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में कोई भी युक्ति–युक्त कारण दर्शित नही किया गया है। इस सम्बन्ध में मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटना दिनांक– 30.06.2024 से दिनाँक– 02.10.2024 के मध्य कारित हुई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट हाजा थाना पर दिनाँक– 03.10.2024 को पंजीकृत करायी गयी है तथा मामले की पीड़िता ने अपने बयान धारा– 183 BNSS में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि दिनाँक– 02.10.2024 को मेरी वीडियो वायरल हुई, तब पता चला कि सुरेश ने मेरे कपड़े उतारे और अपने साथ लेटकर वीडियो बनायी। वीडियो फेसबुक पर वायरल करने पर मुझे जानकारी हुई। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह तथ्य अंकित है कि मैं भय व लोकलज्जा के कारण चुप रही। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ।

अभियुक्त द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रा० पत्र में यह भी आधार लिया गया है कि वादिनी/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा– 180 BNSS एवं 183 BNSS में अत्यन्त विरोधाभाष है, जिससे कि कथित घटना पूर्णतया असत्य एवं मनगढंत प्रतीत होती है। परन्तु मामले की वादिनी मुकदमा/पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा– 180 BNSS एवं 183 BNSS में अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य का समर्थन किया है।

अभियुक्त द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रा० पत्र में यह भी आधार लिया गया है कि वादिनी/पीड़िता द्वारा दौरान मुकदमा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए अपने बयानों में प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह स्वयं तथा उसके माता–पिता कोई काम धंधा नहीं करते हैं और न ही उनके पास कोई कृषि भूमि है। बावजूद इसके उसके घर का प्रतिमाह का खर्चा बीस–पच्चीस हजार एवं स्वयं का खर्चा करीब दस हजार रूप्ये प्रतिमाह बताया है। स्पष्ट है कि वादिनी अभियुक्त एवं उस जैसे निर्दोष लोगो को झूठे मुकदमें में फंसाकर ब्लैकमेल कर रूपये ऐंठने का काम करती है। वादिनी/पीड़िता द्वारा दौरान मुकदमा विचारण प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष दिए अपने बयानों में कथित घटना झोपड़ी में होना बताया है, जबकि उसके द्वारा अपने मुख्य बयानों व धारा– 180/183 BNSS में कथित घटना अभियुक्त के घर जिसमें गेट व दरवाजे लगे हैं, की होना बताया है, उक्त बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है, जिससे कि कथित घटना असत्य साबित होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि वादिया द्वारा दौरान मुकदमा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए अपने बयानों में कहा है कि मेरे सामने कथित घटना के बारे में न ही मेरा वीडियो किसी ने बनाया था, न ही मैनें बनवाया था। घटना के सम्बन्ध में जो वीडियो था, वो किसी ने बयाना नहीं था, वो फर्जी था। मैंने कथित वीडियो सुरेश के मोबाइल पर नही देखा। मैनें अभी तक किसी के मोबाइल में घटना के सम्बन्ध में वीडियो नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि किस व्यक्ति ने मुझे वीडियो के बारे मे बताया था। मैंने मुल्जिम सुरेश के पास कभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं देखा है। वादिनी के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है और उसके विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य, निराधार एवं मनगढ़ंत है। सबसे महत्वपूर्ण कथन जो कि वादिया द्वारा दौरान मुकदमा विचारण न्यायालय के समक्ष किया गया है, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि 'यह कहना सही है कि मुल्जिम सुरेश से रूपये लिए थे, वो वापस नही करने की वजह से झूठा मुकदमा लिखाया है।" वादिनी/पीड़िता पुनः परीक्षा के दौरान भी उक्त कथन की पुनः पुष्टि करते हुए कहा है कि 'यह बात मैंने सही लिखाई है कि सुरेश मुझसे रूपये मांग रहा था, जिसके कारण मैंने झूठा मुकदमा लिखाया है। वादिनी के उक्त बयान जो न्यायालय के समक्ष संलग्न पत्रावली है, से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है और उसके विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य, निराधार एवं मनगढ़ंत है और उसके द्वारा कथित किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया गया है। इस सम्बन्ध में जमानत पत्रावली से सम्बन्धित सत्र पत्रावली सत्र केस संख्या–54/2025 के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित है कि प्रस्तुत मामले में कुल तीन अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू०–5 का साक्ष्य अंकित किया गया है तथा सम्बन्धित सत्र पत्रावली अभी शेष साक्ष्य पर नियत चल रही है तथा यदि इस स्तर पर उपरोक्त परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त को जमानत दी जाती है, तो यह सम्बन्धित सत्र पत्रावली का मिनी ट्रायल हो जायेगा।

प्रकरण की पीड़िता ने धारा–180/183 BNSS के बयानों में अभियुक्त द्वारा कारित घटना का समर्थन किया है। हाजा थाना द्वारा उक्त द्वितीय जमानत प्रा० पत्र के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करेगा और जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है।

अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रा० पत्र संख्या– 2630/2024, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार), कानपुर देहात द्वारा पूर्व दिनाँक– 29.10.2024 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई भी औचित्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण के गुण–दोष पर कोई भी राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय के मत में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुरेश कुमार की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1527/2026, अ०सं०– 254/2024, धारा–64(1),123,351(3) भा०न्या०सं० व धारा– 67 आई०टी० एक्ट, थाना– मंगलपुर, कानपुर देहात तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह– III)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–15
(बलात्संग/पाक्सो एक्ट), कानपुर देहात

दिनाँक–14.07.2026

Digitally signed by SURENDRA SINGH III
Date: 2026.07.14 16:31:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court